न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 233/2014 निर्णय दिनांकः– 03.04.2025
(जीसीएमएस संख्या 2014/00134)

1. पुष्पादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24–01–2004
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोत्तम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 24–01–20004 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजूवाला में चक 1–2 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 182/40 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी,
बीकानेर

द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांटा को प्रथम वरीयता मे पात्र मानते हुए अपीलांटा को वादगत भूमि का आवंटन कर दिया गया जिसकी पालना में अपीलांटा द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के पश्चात अपीलांटा के नाम से आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका था लेकिन दिनांक 24–01–2004 को अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा एक आदेश प्रसारित किया गया जिसमें आवंटित भूमि की राशि जमा नहीं करवाने के कारण राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.यो.) क्षेत्र में आवंटन एंव विक्रय नियम 1975 की धारा 17(8) के तहत अपीलांटा को आवंटित रकबा निरस्त कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी भूमि आवंटन करवाने का पात्र है क्योंकि प्रार्थी का पेशा खेती है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—01—2004 के विरूद्व अपील दिनांक 16—10—14 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की किश्तों की राशि समय पर जमा नहीं करवाने के कारण अपीलांटा को आवंटित भूमि को निरस्त कर दिया गया है। अब अपीलांटा किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—01—2004 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16—10—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील खाजूवाला में चक 1—2 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 182/40 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को आवेदित रकबे का आवंटन कर दिया गया। जिसकी पालना में अपीलांटा द्वारा आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि भी खजानाराज में जमा करवाने के पश्चात अपीलांटा के नाम से वादगत भूमि का आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। मगर उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटित भूमि की किश्तें समय पर जमा नहीं करवाने के कारण अपीलांटा का आवंटन निरस्त कर दिया गया। इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांटा को आवेदित रकबे की प्रथम वरीयता की पात्र मानते हुए वादगत भूमि का आवंटन कर दिया गया। उक्त आदेश में अपीलांटा को आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने का आदेश प्रदान किया गया। जिस पर अपीलांटा द्वारा आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाये जाने पर दिनांक 30—03—2000 को आवेदित भूमि का आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया मगर उसके पश्चात अपीलांटा को आवंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाने के कारण आंवटित भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा को किसी प्रकार का नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सुनिश्चितता की गई हो तथा ना ही अपीलांट को किसी अन्य भूमि पाने के लिए सक्षम घोषित किया गया है।

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.**

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–01–2004 अपीलांटा की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर अपीलांटा द्वारा जमा राशि का समायोजन करते हुए पुनः नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर